न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 49/2019

दायर तारीख : 08.08.2019

1. संजय उर्फ संज्या देवी पत्नि शिवपाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी नाकावाली छापुड़ा कलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

—वादिया

बनाम

1. हेमराज पुत्र प्रभात
2. ग्यारसी बेवा प्रभात
3. बोदू पुत्र प्रभात
4. शिम्भूदयाल पुत्र लादा
5. कमलेश पुत्र बोदूराम
6. सन्तोष देवी पत्नि बोदूराम
7. काजल
8. टीना
9. हीना
10. मीना
11. प्रिया

(7 से 11) पुत्रियान बोदूराम नाबालिकान जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता संतोष देवी पत्नि बोदूराम

(1 से 11) समस्त जाति माली निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

12. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
13. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता वादिया
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार उपस्थित

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 27.02.2020

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रहे कि वाके ग्राम ढाणी गैसकान के हाल आराजी खसरा नंबर 625 रकबा 0.0646, 629 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2246 हैक्टेयर में 2/5 हिस्से मे वादिया एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। मुताबिक जमाबंदी अपने–अपने हिस्से पर वादया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 हाल आबाद एवं काबिज काश्त है। यह है कि आराजी खसरा नंबर 625 की भूमि नेशनल हाईवे नंबर 08 से

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

लगती हुई है, जिसका अभी तक ना ही कोई बाहमी बंटवारा हुआ है और ना ही विधिक बंटवारा हुआ है, वादिया एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सेनुसार संयुक्त में काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। यह है कि आराजी खसरा नंबर 629 रकबा 0.16 हैक्टेयर में वादिया ने अपने निवास हेतु पुख्ता मकान एवं पशुओं के बाड़े इत्यादि पुख्ता तामीरात अपनी सुविधाओं के लिए बना रखे है एवं शेष अपनी हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी बाधा के उपयोग–उपभोग करती आ रही है। यह है कि हाल आराजी खसरा नंबर 625 नेशनल हाईवे नंबर 08 से लगती हुई भूमि है, जिसके पश्चिम में नेशनल हाईवे लगता है वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 अपनी सुविधा व भूमि की उपयोगिता के अनुसार नेशनल हाईवे से लगती हुई पश्चिम से पूर्व बंटवारा कर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है, जिसमें सभी खातेदारान की भूमि रोड़ से लगती हुई समान उपयोगिता की भूमि सभी के हिस्से में रही है एवं वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को अपनी भूमि में आने–जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं है। यह है कि अब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के मन में बदनियती आ गई एवं इसी बदनियत के चलते प्रतिवादीगण नेशनल हाईवे से लगती हुई की भूमि वादिया को देना चाहते है, जबकि वादिया काफी समय से हाल आराजी खसरा नंबर 625 नेशनल हाईवे से लगती हुई पश्चिम से पूर्व लंबाई मे काबिज रहकर हाल आबाद है एवं उक्त भूमि को काबिले काश्त व उपजाऊ बनाने में वादिया ने काफी रूपये खर्च किए है। यह है कि हाल आराजी खसरा नंबर 625, 629 का अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है उक्त भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की शामलाती भूमि है, जिस पर वादिया एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार शामिल मे काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि का अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है, जिसके कारण प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जावेगा एवं प्रतिवादीगण लाठी के बल के आधार पर उक्त भूमि पर कब्जा कर वादिया को जबरन बेदखल करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण उक्त भूमि मुतनाजा में वादिया के हिस्से पर कब्जे काश्त में जबरन मजामहत पैदा करने लग गए है, जिसके कारण अब शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11, वादिया को रोड से लगते हुई भूमि को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर वादिया की भूमि पर कब्जा कर जबरन बेदखल करने की एलानिया धमकी देते है। यह है कि यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 अपने अवैध मनसूबों में कामयाब हो गए तो वादिया को अकथनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किसी धन राशि के रूप में किया जाना संभव नहीं होगा, इसलिए विवादित भूमि का वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के मध्य बाई मिट्स बाउण्ड सरस–नरस के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमों के अनुसार बंटवारा करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम ढाणी गैसकान के हाल आराजी खसरा नंबर 625 रकबा

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

0.0646, 629 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2246 हैक्टेयर में वादिया को जमाबंदी मे दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं अलग से लगान निर्धारण किया जावें तथा वादिया का अलग से पर्चा जारी किया जावें। साथ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

2. वादिया ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम ढाणी गैसकान खाता संख्या 248 संवत् 2073–2076, वाके ग्राम ढाणी गैसकान खसरा नंबर 625, 629 नक्शा ट्रेस आदि पेश किए है।

3. दावा बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पैरोकार सरकार उपस्थित।

4. तारीख पेशी 14.11.2019 को अधिवक्ता वादी की बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। बाद बहस मनन दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने की तहरीर जारी की गई।

5. तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 25.02.2020 को कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई

6. विद्वान अधिवक्ता वादिया एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम ढाणी गैसकान के हाल आराजी खसरा नंबर 625 रकबा 0.0646, 629 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2246 हैक्टेयर में 2/5 हिस्से मे वादिया एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। मुताबिक जमाबंदी अपने–अपने हिस्से पर वादया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 हाल आबाद एवं काबिज काश्त है। यह है कि आराजी खसरा नंबर 625 की भूमि नेशनल हाईवे नंबर 08 से लगती हुई है, जिसका अभी तक ना ही कोई बाहमी बंटवारा हुआ है और ना ही विधिक बंटवारा हुआ है, वादिया एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सेनुसार संयुक्त में काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। यह है कि आराजी खसरा नंबर 629 रकबा 0.16 हैक्टेयर में वादिया ने अपने निवास हेतु पुख्ता मकान एवं पशुओं के बाड़े इत्यादि पुख्ता तामीरात अपनी सुविधाओं के लिए बना रखे है एवं शेष अपनी हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी बाधा के उपयोग–उपभोग करती आ रही है। यह है कि हाल आराजी खसरा नंबर 625 नेशनल हाईवे नंबर 08 से लगती हुई भूमि है, जिसके पश्चिम में नेशनल हाईवे लगता है वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 अपनी

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

सुविधा व भूमि की उपयोगिता के अनुसार नेशनल हाईवे से लगती हुई पश्चिम से पूर्व बंटवारा कर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है, जिसमें सभी खातेदारान की भूमि रोड़ से लगती हुई समान उपयोगिता की भूमि सभी के हिस्से में रही है एवं वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को अपनी भूमि में आने–जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं है। यह है कि अब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के मन में बदनियती आ गई एवं इसी बदनियत के चलते प्रतिवादीगण नेशनल हाईवे से लगती हुई की भूमि वादिया को देना चाहते है, जबकि वादिया काफी समय से हाल आराजी खसरा नंबर 625 नेशनल हाईवे से लगती हुई पश्चिम से पूर्व लंबाई मे काबिज रहकर हाल आबाद है एवं उक्त भूमि को काबिले काश्त व उपजाऊ बनाने में वादिया ने काफी रूपये खर्च किए है। यह है कि हाल आराजी खसरा नंबर 625, 629 का अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है उक्त भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की शामलाती भूमि है, जिस पर वादिया एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार शामिल मे काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि का अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है, जिसके कारण प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जावेगा एवं प्रतिवादीगण लाठी के बल के आधार पर उक्त भूमि पर कब्जा कर वादिया को जबरन बेदखल करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण उक्त भूमि मुतनाजा में वादिया के हिस्से पर कब्जे काश्त में जबरन मजामहत पैदा करने लग गए है, जिसके कारण अब शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11, वादिया को रोड से लगते हुई भूमि को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर वादिया की भूमि पर कब्जा कर जबरन बेदखल करने की एलानिया धमकी देते है। यह है कि यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 अपने अवैध मनसूबों में कामयाब हो गए तो वादिया को अकथनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किसी धन राशि के रूप में किया जाना संभव नहीं होगा, इसलिए विवादित भूमि का वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के मध्य बाई मिट्स बाउण्ड सरस–नरस के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमों के अनुसार बंटवारा करवाया जाना न्यायसंगत है। प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 25.02.2020 प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादिया ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादिया ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादिया का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिया का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	संजय उर्फ संज्या देवी पत्नि शिवपाल जाति गुर्जर सा. नाकावाली छापुड़ा खुर्द तहसील शाहपुरा खातेदार	625/4/0.0100, 629/0.0718 हैक्टेयर
2	1. संतोष देवी पत्नि बोदूराम हिस्सा 1/21 2. कमलेश पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/21 3. ना. बा. हीना पुत्री बोदूराम सरपरस्त माता संतोष देवी हिस्सा 1/21 4. ना. बा. मीना पुत्री बोदूराम सरपरस्त माता संतोष देवी हिस्सा 1/21 5. ना. बा. टीना पुत्री बोदूराम सरपरस्त माता संतोष देवी हिस्सा 1/21 6. ना. बा. काजल पुत्री बोदूराम सरपरस्त माता संतोष देवी हिस्सा 1/21 7. ना. बा. प्रिया पुत्री बोदूराम सरपरस्त माता संतोष देवी हिस्सा 1/21 कौम माली सा. देह 8. हेमराज पुत्र प्रभात हिस्सा 1/9 कौम माली सा. देह 9. ग्यारसी पत्नि स्व0 प्रभात हिस्सा 1/9 कौम माली सा. देह	625/0.0146, 625/5/0.0200, 629/1/0.0882 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

	10. बोदूराम पुत्र प्रभात हिस्सा 1/9 कौम माली सा. देह 11. शिम्भूदयाल पुत्र लादूराम हिस्सा 1/3 कौम माली सा. देह खातेदार	
3	मुताबिक जमाबंदी शामलात	625/3/0.02 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिकी मुकद्दमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस.

1. संजय उर्फ संज्या देवी पत्नि शिवपाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी नाकावाली छापुड़ा कलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

—वादिया

बनाम

1. हेमराज पुत्र प्रभात
2. ग्यारसी बेवा प्रभात
3. बोदू पुत्र प्रभात
4. शिम्भूदयाल पुत्र लादा
5. कमलेश पुत्र बोदूराम
6. सन्तोष देवी पत्नि बोदूराम
7. काजल
8. टीना
9. हीना
10. मीना
11. प्रिया

(7 से 11) पुत्रियान बोदूराम नाबालिकान जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता संतोष देवी पत्नि बोदूराम

(1 से 11) समस्त जाति माली निवासी ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

12. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
13. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 49/2019 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री चिरंजीलाल रैगर एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि वाके ग्राम ढाणी गैसकान के हाल आराजी खसरा नंबर 625 रकबा 0.0646, 629 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2246 हैक्टेयर में वादिया को जमाबंदी मे दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं अलग से लगान निर्धारण किया जावें तथा वादिया का अलग से पर्चा जारी किया जावें। साथ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

सुना गया। प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	संजय उर्फ संज्या देवी पत्नि शिवपाल जाति गुर्जर सा. नाकावाली छापुड़ा खुर्द तहसील शाहपुरा खातेदार	625/4/0.0100, 629/0.0718 हैक्टेयर
2	1. संतोष देवी पत्नि बोदूराम हिस्सा 1/21 2. कमलेश पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/21 3. ना. बा. हीना पुत्री बोदूराम सरपरस्त माता संतोष देवी हिस्सा 1/21 4. ना. बा. मीना पुत्री बोदूराम सरपरस्त माता संतोष देवी हिस्सा 1/21 5. ना. बा. टीना पुत्री बोदूराम सरपरस्त माता संतोष देवी हिस्सा 1/21 6. ना. बा. काजल पुत्री बोदूराम सरपरस्त माता संतोष देवी हिस्सा 1/21 7. ना. बा. प्रिया पुत्री बोदूराम सरपरस्त माता संतोष देवी हिस्सा 1/21 कौम माली सा. देह 8. हेमराज पुत्र प्रभात हिस्सा 1/9 कौम माली सा. देह 9. ग्यारसी पत्नि स्व0 प्रभात हिस्सा 1/9 कौम माली सा. देह 10. बोदूराम पुत्र प्रभात हिस्सा	625/0.0146, 625/5/0.0200, 629/1/0.0882 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

	1/9 कौम माली सा. देह 11. शिम्भूदयाल पुत्र लादूराम हिस्सा 1/3 कौम माली सा. देह खातेदार	
3	मुताबिक जमाबंदी शामलात	625/3/0.02 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर